जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1990,

सा0का0नि0 874 (असा0) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण द्वारा बनाए गए तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम 1990 और इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निहितानुसार को, अनुमोदन प्रदान करती है।

2 कथित विनियम, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होगें।

(एफ.सं0 पीआर–12016/17/90–पीई ।।) अशोक जोशी , संयुक्त सचिव

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम 1990

1 लघु शीर्ष एवं आरंभ

(i) इस विनियम को तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम 1990 कहा जाए।

2 प्रयोग

(i) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास बोर्ड के सभी कर्मचारियों को लाूग होंगे लेकिन निम्न को लागू नहीं होंगे :

(ए) नैमित्तिक या दैनिक दर पर या अंश कालिक रोज़गार पर के व्यक्ति।

(बी) व्यक्ति, जिसे आकस्मिकताओं से भुगतान किया जाता है।

(सी) ठेके पर नियुक्त व्यक्ति, सिवाय अन्यथा प्रबंध किए गए ठेके को छोडकर।

(ii) ये विनियम अन्य महा पत्तनों एवं विदेशी सर्विस पर प्रतिनियुक्ति पर गए तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारियों को भी लागू होगें बशर्ते कि इस संबंध में, ऐसे महा पत्तनों या विदेशी सर्विस से इन विनियमों के तहत शैक्षिक सहायता निकासी करने के लिए प्रतिनियुक्ति या विदेशी सर्विस की शर्तों पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

3 परिभाषा

इन विनियमों में, अन्यथा किसी भी परिपेक्ष में जरूरत पडती है :

ए) 'बोर्ड' 'अध्यक्ष' 'उपाध्यक्ष' एवं 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में क्रमशः दिये गए अनुसार होगा।

बी) 'बच्चा' का तात्पर्य, बोर्ड के कर्मचारी का बच्चा और इसमें सौतेला बच्चा एवं दत्तक बच्चा भी शामिल है, जो कि कर्मचारी पूर्णतया निर्भर है।

सी) 'कर्मचारी' का तात्पर्य, बोर्ड का कर्मचारी।

डी) 'सरकार' का तात्पर्य, केन्द्र सरकार।

ई) 'हायर सेक्कन्डरी' या 'सीनियर हायर सेक्कन्डरी' का तात्पर्य, कक्षा XI एवं XII और प्री यूनवर्सिटी क्लास जैसे 10+2+3 स्कीम के अधीन XII कक्षा के समतुल्य की कक्षाएँ या फस्ट इयर क्लाास या इन्टरमीडियेट कॉलेज, तकनीकि कॉलेज या पॉलिटेक्निक शामिल हैं, बशर्ते कि बच्चे ने सेकंडरी या उसक समतुल्य उत्तीर्ण किया है लेकिन ऐसी कक्षा में दाखिला लेने से पहले हायर सेकन्डरी परीक्षा नहीं लिखी होनी चाहिए।

एफ) 'प्राइमरी कक्षा' का तात्पर्य, कक्षाएँ I से V तक लेकिन किन्डरगार्टन या नर्सरी कक्षाएँ शामिल नहीं हैं।

जी) 'मान्यता स्कूल' का तात्पर्य, सरकारी स्कूल/सार्वजनिक स्कूल या ऐसी कोई शैक्षिक संस्था, जिसके सरकारी एइड् मिलती हो या नहीं, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्राधिकारी , जिसके अधिकार क्षेत्र में जहाँ संस्था स्थित है, द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, वरिष्ठ स्तर की शिक्षा को स्कूली शिक्षा के रूप में माना जाएगा।

एच) 'सेकन्डरी क्लास' का तात्पर्य कक्षा VI से X तक।

आइ) 'ट्यूशन फी' का तात्पर्य, अदा किया जाने वाला ट्यूशन फी एवं वास्तविक तौर पर अदा किया गया और निम्न शामिल है :

(i) विज्ञान शुल्क
(ii) अगर विज्ञान शुल्क के मामले में अलग से प्रभारित नहीं किया गया तो प्रयोगशाला शुल्क
(iii) एक इलक्टिव अतिरिक्त विषय के रूप में कृषि के लिए प्रभारित विशेष शुल्क
(iv) विषय जैसे संगीत... इत्यादि , जिसे नियमित स्कूल करीकुलम या कार्यानुभव के कार्यक्रम के अधीन प्रॉक्टिकल कार्य के अनिवार्य विषय के लिए किसी प्रकार का प्रभारित शुल्क

बशर्ते कि अगर एक विज्ञान छात्र से प्रभारित 'ट्यूशन फी', विज्ञान रहित छात्र से प्रभारित शुल्क से अधिक है, तो विज्ञान शुल्क अलग से प्रभारित किए जाने पर भी, इन आदेशों के उद्देश्य के लिए ट्यूशन फी में शामिल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – 'ट्यूशन फी' में फिर भी निम्न शामिल नहीं हैं

(i) घरेलु विज्ञान निधि प्रभारें
(ii) पुस्तकालय शुल्क
(iii) क्रीडा शुल्क
(iv) दाखिला शुल्क एवं

(v) एक्ट्रा–करीकुलर गतिविध शुल्क

सामान्य शर्तें

4 योग्यता

(i) बोर्ड के सभी कर्मचारी, बिना किसी वेतन सीमा के, अदा किए गए ट्यूशन फी का प्रतिलभ्य पाने के योग्य होगें और अपने बच्चों के मामले में वास्तविक रूप से अदा किया गया है बशर्तें कि इन विनियमों में किसी के भी तहत उनको कोई 'बच्चे का शैक्षिक भत्ता' लागू नहीं होता।

(ii) अगर दोनो पत्नी एवं पति, इन विनियमों द्वारा प्रशासित हैं तो किसी को ही मात्र लागू ट्यूशन फी को प्रतिलभ्य किया जाएगा।

(iii) अगर कर्मचारी की पत्नी या का पति, बोर्ड के बाहर नियोजित है तो, बोर्ड के कर्मचारी ही इन विनियमों के अधीन ट्यूशन फी को प्रतिपूर्ति करने के लिए योग्य हैं, कि अगर वे या उनकी पत्नी/उनका पति , उनके अपने मालिक से इस प्रकार का लाभ न पाने के योग्य है और कर्मचारी से ऐसा होने की घोषणा प्राप्त किया जाएगा।

(iv) कर्मचारी को ट्यूशन फी तभी लागू होगी जब वे कार्यभार संभाल रहे होते हैं या निलंबन या छुट्टी (ईओएल को शामिल करते हुए) के अधीन होते हैं।

बशर्तें कि अगर किसी अवधि को 'डायस नॉन' के रूप में माना जाता है, तो कर्मचारी प्रतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं है।

(v) अगर कोई कर्मचारी, शैक्षिक वर्ष के दौरान, किसी भी कारण से सेवाकाल में मर जाता है या सेवा से सेवानिवृत्त, त्यागपत्र , बरख़ास्त या स्थानांतरण हो जाता है तो, जिस वर्ष यह संभव होता है, उस शैक्षिक वर्ष के अंत तक वह प्रतिपूर्ति पाने के लिए योग्य होगा।

(vi) यह शिथिलन उन्हीं बच्चों के लिए लागू होती है , जिनकी उम्र 5 और 20 वर्ष के बीच है। एक कर्मचारी, उसी कक्षा में दो शैक्षिक वर्षों से ज्यादा के लिए बच्चे की ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति पाने के लिए योग्य नहीं होगा।

(vii) इन विनियमों के अधीन सहायता, एक समय पर मात्र, 31.12.1987 से पहले जन्में तीन बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगा और उसके बाद जन्मे सिर्फ दो बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगा।

(viii) बच्चे के मामले में, ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी तभी योग्य होगा , जब अगर बच्च नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होता है।

बशर्तें कि किसी भी मामले में, ऐसी कोई प्रतिपूर्ति लागू नहीं होगी जहाँ स्कूल से अनुपस्थिति की अवधि, उपयुक्त छुट्टी के बगैर एक महीने से ज्यादा के लिए होती है, इससे पर की बच्चे का नाम स्कूल के रोल में रहता है।

(ix) कर्मचारी के बच्चे/बच्चों के मामले में ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति इस तथ्य से परे लागू होगी, कि अगर कोई छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और फ्रीशिप प्रदान किया हुआ होता है, तो ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति, वास्तविक तौर पर अदा की गई ट्यूशन फी तक ही मात्र सीमित होगी।

(x) इस विनियम के साथ संलग्नित निर्धारित प्रपत्र में कर्मचारी द्वारा इसके लिए दावा किया जा सकता है।

5 प्रतिपूर्ति की सीमा

(i) कक्षा XII तक

कर्मचारी के बच्चे/बच्चों के मामले में, अदा की जाने वाली ट्यूशन फी एवं वास्तविक तौर पर अदा किया गया को प्रतिपूर्ति किया जा सकता है, बशर्तें कि समय समय पर केन्द्र सरकार के आदेशों के सामंजस्य से बोर्ड द्वारा नियत सीमा तक है।

(ii) पॉलिटेक्निक एवं विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे द्वारा या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय या प्री–यूनिवर्सिटी / इन्टर्मिडीयेट कॉलेज या तकनीकि कॉलेज का पहले वर्ष की कक्षा या पॉलिटेक्नीक या करस्पांडेन्स कोर्स के पहले वर्ष की कक्षा के लिए प्रभारित ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति तब ही होगी जब करस्पांडिंग क्लास के लिए सरकारी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर तक उन्हें नियामक किया जा रहा है।

(iii) दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स :

उन मामलों में जहाँ, शिक्षा के संशोधित पेटर्न में , पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्सों के लिए, न्यूनतम अर्हता X कक्षा है और छात्र X वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद पॉलिटेक्निक में दाखिला लेता है, तो उपर्युक्त कोर्स के I कक्षा एवं II कक्षा के लिए ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति होगी।

(iv) विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

इन विनियमों के विरूद्ध किसी भी बात के होते हुए, कर्मचारी के शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक तौर पर अवरूद्ध बच्चों के मामले में अदा किए जान वाले और अदा किए गए ट्यूशन फी को निम्नलिखित शर्तों के बशर्ते प्रतिपूर्ति की जाएगी –

(ए) बच्चा जिस संस्थान में पढ रहा है, वो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित या एइडेड या मान्यता प्राप्त है।

(बी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रभारित या अनुमोदित शुल्क, जैसी स्थिति हो –

स्पष्टीकरण : अगर संस्थान मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या एइडेड है, लेकिन प्रभारित शुल्क को केन्द्र सरकार , राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है तो शुल्क की प्रतिपूर्ति बशर्तें होगी कि समय समय पर केन्द्र सरकार के आदेशों के सामंजस्य से बोर्ड द्वारा नियत सीमा तक है।

6 ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति के लिए पद्धति

(ए) स्कूल द्वारा दिए गए नकद प्राप्ति या बैंक क्रेडिट वाउचर के कउन्टरफॉइल प्रस्तुत करते हुए प्रारंभिक दावा स्वीकार करते समय, अगर कर्मचारी द्वारा बैंक के माध्यम से ट्यूशन फी अदा की जाती है तो ट्यूशन फी को वास्तविक रूप में अदा किए जाने के लिए यह सबूत पर्याप्त है। बाद के अवसरों के लिए, कर्मचारी से एक घोषणा लेनी होगी कि वें ट्यूशन फी... इत्यादि पर व्यय उपगत कर रहे हैं जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कर्मचारी को यह भी प्रमाण देने को कहा जाना चाहिए कि उसका बच्चा/बच्चे , वास्तविक रूप में मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ रहे हैं और वे ट्यूशन फी पर की व्यय को यथार्थ रूप में उपगत कर रहे हैं।

(बी) जब कभी भी स्कूल, संस्थान/बच्चे... इत्यादि के संबंध में कोई परिवर्तन होता है तो पहले दावे को '' नए दावे'' के रूप में माना जाएगा और निम्नलिखित पैराओं में अंकित पद्धति का अनुसरण किया जाएगा।

7 व्याख्या

इस आदेश के व्याख्या पर अगर किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो , इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अनुलग्नक

ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति

1 प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बच्चा/बच्चें, जिनके मामले में, ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है, पूर्णतया मुझपर निर्भर है/हैं।

बच्चे का नाम	जन्म तिथि	स्कूल जहाँ पढ रहा है	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है	वास्तविक तौर पर अदा की गई मासिक ट्यूशन फी	जुलाई, 19 से फरवरी 19 तक और मार्च, 19 से जून 19 तक अदा किया गया वास्तविक ट्यूशन फी	दावा की जा रही प्रतिपूर्ति की रकम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1						
2						
3						

2 प्रमाणित किया जाता है कि हरेक बच्चा /बच्चे के आगे अंकित ट्यूशन फी को वास्तविक रूप में मेरे द्वारा अदा किया गया है (बैंक क्रेडिट वाउचर्स का नकद प्राप्ति को प्रारंभिक दावे के साथ संलग्नित किया जाना है।)

3 प्रमाणित किया जाता है कि

i) मेरी पत्नी/मेरे पति पत्तन कर्मचारी नहीं हैं।

ii) मेरी पत्नी/मेरे पति केन्द्र सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

iii) मेरी पत्नी/मेरे पति केन्द्र सरकारी कर्मचारी/पत्तन कर्मचारी हैं लेकिन हमारे बच्चे/बच्चों के मामले में ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगें।

iv) मेरी पत्नी/मेरे पति .... * में नियोजित हैं, लेकिन वे हमारे बच्चे/बच्चों के मामले में ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति करने के हकदार नहीं हैं।

* केन्द्र सरकार के अलावा के नियोक्ता का उल्लेख किया जाना है।

4 प्रमाणित किया जाता है कि इस दावे में शामिल अवधि के दौरान, बच्चा/बच्चें नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहें हैं और एक महीने से ज्यादा की अवधि के लिए बिना उपयुक्त छुट्टि के बगैर वह/वे अनुपस्थित नहीं रहें।

5 प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित बच्चा/बच्चें ने एक ही कक्षा में, दो वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं पढ़ा है।

6 प्रमाणित किया जाता है कि मैं/मेरी पत्नी/मेरे पति ने, ऊपर उल्लिखित बच्चे/बच्चों के मामले में, बच्चों की शैक्षिक भत्ता का कोई दावा नहीं किया है ।

7 प्रमाणित किया जाता है कि मेरे बच्चे/बच्चों के मामले में, जिनके लिए ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है , स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है (मुनीसिपल कॉर्पोरेशन/मुनीसिपल समिति/पंचायत समिति जिला परिषद द्वारा चलाया जा रहे स्कूल को यह लागू नहीं है।)

8 ऊपर के विवरणों में किसी भी प्रकार के बदलाव होने से, जिससे ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी योग्यता पर प्रभाव पडता है, तो मैं यह आश्वासन देता हूँ कि सही तरीके से उसकी सूचना दूँगा और किसी प्रकार का अधिक भुगतान हुआ हो तो उसे भी प्रत्यर्पण करूँगा।

दिनांकित : बडे अक्षरों में नाम

कर्मचारी संख्या :

पदनाम :

विभाग :